न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – आलोक रंजन (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
014/2022(रसद) (GCMS 2022/233)	26.07.2022	30.05.2024

अनवान

कैलाश कंवर पत्नी शम्भू सिंह जाति राजपूत निवासी रूपा का खेडा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़

अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।

प्रत्यर्थी

उपस्थिति :– गौरव परमार — अपीलार्थी
पैरोकार सरकार — प्रत्यर्थी

अपील विरूद्ध निर्णय जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ दिनांक 25.03.2021 बमामले प्रकरण संख्या 062/2020 रसद

–:: निर्णय ::–

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि जिला रसद अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रकरण 062/2020 में पारित निर्णय दिनांक 25.03.2021 जिसके द्वारा अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान का प्राधिकार पत्र कमांक 081/2005 निरस्त कर समस्त प्रतिभूति राशि जब्त करने का आदेश पारित किया। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलार्थी द्वारा हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी द्वारा अपील में अवगत कराया गया है कि निर्णय दिनांक 25.03.2021 एक तरफा मनमाना एवं किसी प्रकार से तथ्यों पर आधारित नहीं है। अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र निरस्त करने का आदेश पारित करने से पूर्व न तो अपीलार्थी को सुना गया न इस हेतु न्यायोचित समय एवं अवसर प्रदान किया। अपीलार्थी द्वारा निर्णय जैर अपील में दर्शायी गई कोई भी अनियमितता नहीं की गई है। गेंहू एवं चीनी की मात्र कम पाये जाने का तथ्य भी गलत है। निर्णय से पूर्व अपीलार्थी को कोई सुनवाई का अवसर, कोई लिखित में सूचना नहीं दी गई। अपीलार्थी को निर्णय की प्रथम जानकारी दिनांक 01.07.2022 को हुई। केवल संभावना व आकांशा के आधार पर जो निर्णय पारित किया गया वह सही नहीं है। प्राधिकार पत्र को निरस्त करने का आदेश पारित कर दिया जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार कर जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ द्वारा प्र.सं. 62/2020 में पारित आदेश दिनांक 25.03.2021 अपास्त फरमाया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जाकर अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र संख्या 081/2005 बहाल फरमाया जावे।

इस पर अपील अपीलार्थी को दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दिनांक 27.09.2022 को जिला रसद अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा पत्रांक/रसद/विधि/62/2020/317 दिनांक 04.08.2022 से मूल अभिलेख पत्रावली प्राप्त हुई है जो कि पत्रावली के हम किता होकर रिकार्ड पर है। जिला रसद अधिकारी की ओर से पैरोकार सरकार प्रवर्तन अधिकारी के उपस्थित होकर प्रकरण में सीधे बहस पत्रावली के निवेदन पर उभयपक्षकारान द्वारा की गई बहस पत्रावली को सुना गया।

सर्वप्रथम विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील मेमों में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया, न ही कोई सूचना–पत्र ही सुनवाई की तिथि का अपीलांट को जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ द्वारा जारी किया गया। अपीलांट को बिना सूचना के एक तरफा कार्यवाही करते हुए जो निर्णय पारित किया गया है वह प्राकृतिक न्याय के सामान्य सिद्धान्त के प्रतिकूल होकर अपीलांट को बिना सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना अपीलांट को अपने बचाव में साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये जो निर्णय पारित किया है। निर्णय दिनांक 25.03.2021 में अंकित किया गया है कि फोन पर तलब करने का प्रयास किया किन्तु दुकानदार का फोन बंद होने से सूचना नहीं हो पाई। इससे भी यह स्पष्ट है कि सुनवाई का पर्याप्त अवसर अपीलांट को नहीं दिया गया न कोई लिखित में सूचना पत्र जारी किया गया। अपीलार्थी द्वारा निर्णय में दर्शायी गई कोई भी अनियमितता नहीं बरती गई। राशन उपभोक्ताओं व अपीलार्थी द्वारा मौके पर मास्क न लगाने का तथ्य भी असत्य है। यह कथन बनावटी है कि राशन डीलर प्रतिनिधि एवं उपभोक्ताओं द्वारा मास्क नहीं लगाया गया। वर्षा का पानी अंदर गिरने की संभावना व सामग्री के खराब होने का आधार बनाया गया है वह भी गलत है। दुकान पर तोल कांटा माप आदि थे वे सभी विधि अनुसार उपलब्ध थे उपभोक्ताओं को पर्ची न देने का तथ्य भी गलत है। मूल्य सूची न होने का तथ्य भी गलत है। गेंहू व चीनी की मात्रा कम पाये जाने का तथ्य भी गलत है।

निर्णय दिनांक 25.03.2021 को पारित एक तरफा कार्यवाही की कोई जानकारी अपीलार्थी को नहीं थी। अपीलार्थी को सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 01.07.2022 को हुई। इसलिये यह अपील जानकारी की तिथि से अंदर मियाद प्रस्तुत की गई है। कानूनी अडचनों से बचने के लिऐ धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र मय शपथ पत्र के पेश है, जो स्वीकार किये जाने योग्य है।

अपीलार्थी ने प्राधिकार पत्र की किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया तथा न ही ऐसा कोई तथ्य पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड से प्रमाणित है। अतः अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी ने प्राधिकार पत्र निरस्त करने तथा प्रतिभूति राशि जब्त करने का पारित आदेश पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर अपीलार्थी को बिना सुनवाई का अवसर दिए एक तरफा निर्णय दिया है जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ का आदेश दिनांक 25.03.2021 निरस्त

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

फरमाकर अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र संख्या 081/2005 बहाल फरमाया जावे। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस समाप्त की।

इस पर प्रवर्तन अधिकारी, पैरोकार सरकार पत्रावली पर उपलब्ध मूल अभिलेख पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन करया एवं बताया कि दिनांक 01.10.2020 को प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा उचित मूल्य दुकान का निरीक्षण कर निरीक्षण प्रतिवेदन जिला रसद अधिकारी, चित्तौड़गढ़ को प्रस्तुत किया गया, जिसमें उचित मूल्य दुकान का संचालन अपीलार्थी (प्राधिकार पत्र धारक) द्वारा न किया जाकर अन्य व्यक्ति कालुसिंह द्वारा किया जाना पाया गया, जो कि प्राधिकार पत्र की शर्त का उल्लघंन है। उपभोक्ताओं को पर्ची नहीं दिया जाना पाया गया है। मूल्य सूची बोर्ड व स्टॉक रजिस्टर का संधारण नहीं किया जाना पाया गया। भौतिक सत्यापन में पोस मशीन में दर्ज स्टॉक से गेहूं की मात्रा 1800 किलो कम पाई गई। लेवी चीनी की मात्रा पोस मशीन में 170.50 किलो दर्ज है किन्तु भौतिक रूप से उपलब्ध नहीं पाई गई।

निरीक्षण प्रतिवेदन पत्र कालुसिंह के हस्ताक्षर इस तथ्य को प्रमाणित करते है। इसके साथ निरीक्षण के समय मौके पर उपस्थित गवाहान के बयान दर्ज किये गये है, अपीलार्थी के उक्त कृत्य राजस्थान खाद्यान्न एवं आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के अन्तर्गत जारी प्राधिकार पत्र की शर्तो के उल्लंघन में आते है एवं इसी आधार पर दिनांक 07.10.2020 को अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र निलम्बित किया गया। इसके पश्चात् पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर अपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया जिस पर स्वयं अपीलार्थी के हस्ताक्षर एवं प्राप्ति रसीद है। इसके साथ प्रकरण की अपीलार्थी को जानकारी होने के बावजूद भी प्रकरण में रूचि नहीं ली एवं किसी भी प्रकार से कोई लिखित अभिवचन/जवाब प्रस्तुत नहीं किया एवं दिनांक 25.03.2021 को एकपक्षीय निर्णय लगातार अनुपस्थित रहने पर पारित किया गया, अतः प्राधिकार पत्र निरस्तीकरण एवं प्रतिभूति राशि जब्ती हेतु पारित आदेश दिनांक 25.03.2021 विधि–सम्मत् होकर पुष्ठि किये जाने योग्य है जिससे अपील अपीलार्थी खारीज फरमाई जावे। इसी ईश्तदुआ के साथ पैरोकार सरकार ने अपनी बहस समाप्त की।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी ने वक्त निरीक्षण उचित मूल्य दुकानदार के विरूद्ध प्रवर्तन निरीक्षक के निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 01.10.2020 में गंभीर अनियमितता पाये जाने पर प्राधिकार पत्र संख्या 081/2005 अस्थाई रूप से निलम्बित किया जाकर राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) 1976 के नियम 8 व 9 के तहत कार्यवाही प्रारम्भ किये जाने के पर्याप्त आधार होने से कार्यवाही दिनांक 12.10.2020 को प्रारम्भ की जाकर उचित मूल्य दुकानदार को जरिये नोटिस के तलब किया गया, उक्त नोटिस दिनांक 12.10.2020 पर अपीलार्थी के स्वयं की प्राप्ति रसीद है। जिला रसद अधिकारी द्वारा नोटिस के माध्यम से मुख्य रूप से मूल्य सूची बोर्ड व स्टॉक रजिस्टर के संधारण, पोस मशीन में जर्द स्टॉक से गेंहू की मात्रा 1800 किलोग्राम कम पाये

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जाने, लेवी चीनी की मात्रा पोस मशीन में 170.50 किलोग्राम दर्ज होने के बावजूद भौतिक रूप से उपलब्ध नहीं होने, कोविड–19 की गाईड–लाईन की पालना इत्याादि के संबंध में स्पष्टीकरण चाहा गया किन्तु अपीलार्थी को प्रकरण की जानकारी प्राप्त होने के बावजूद अपीलार्थी द्वारा जिला रसद अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर किसी भी प्रकार से कोई लिखित अभिवचन प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके साथ ही नियम 08 (02) के तहत जिला रसद अधिकारी द्वारा उक्त कार्यवाही 90 दिवस की अवधि में निस्तारित किया जाना विधि द्वारा प्रावधित है। इसके बाजवूद जिला रसद अधिकारी द्वारा प्रकरण का निस्तारण विहित अवधि में नहीं किया जाकर लगभग 5 माह की अवधि व्यतीत हो जाने के बाद निस्तारित किया गया है।

हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा अपने अपील आवेदन में जिला रसद अधिकारी द्वारा अपीलाधीन निर्णय में लगाये गये आरोपों के संबंध में किसी भी प्रकार से कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं कर केवल में खण्डन किया गया है, जिला रसद अधिकारी द्वारा अपीलार्थी पर लगाये आरोप गंभीर प्रकृति के है। इस संबंध में अपीलार्थी द्वारा न्यायालय के समक्ष भी किसी प्रकार से कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, केवल मात्र इस तथ्य को उठाया गया है कि अपीलार्थी को उक्त नोटिस दिनांक 12.10.2020 की तामील नहीं हुई जबकि जिला रसद अधिकारी से प्राप्त मूल अभिलेख पर नोटिस दिनांक 12.10.2020 पर अपीलार्थी की प्राप्ति रसीद उपलब्ध है, इस से यह तथ्य प्रमाणित होता है कि अपीलार्थी को कार्यवाही के संबंध में पूर्णतया जानकारी प्राप्त रही है एवं अपीलार्थी द्वारा स्वयं रूचि लेकर प्रकरण में जिला रसद अधिकारी के समक्ष प्रकरण का प्रतिरक्षण नहीं किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध मूल अभिलेख के अवलोकन मात्र से न्यायालय के समक्ष यह तथ्य प्रतिवेदित होता है कि जिला रसद अधिकारी द्वारा दिनांक 06.11.2020 से दिनांक 25.03.2021 तक अपीलार्थी को सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर एवं समय दिया गया है, किन्तु अपीलार्थी स्वयं रूचि लेकर अपने प्रकरण में उपस्थित नहीं हुये है। अपीलार्थी द्वारा अपने अपील आवेदन में गेंहू एवं चीनी के मात्रा के संबंध में जिला रसद अधिकारी द्वारा अपीलाधीन निर्णय में लगाये गये आरोप के संबंध में किसी भी प्रकार से कोई अभिवचन नहीं किया गया है, केवल मात्र खण्डन कर दिया गया है। इस संबंध में किसी भी प्रकार से कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। जहां तक अपीलार्थी द्वारा जिला रसद अधिकारी के एक तरफा एवं मनमाना निर्णय पारित करने का प्रश्न उठाया गया है। इस संबंध में जिला रसद अधिकारी द्वारा प्रवर्तन निरीक्षक के निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर जारी नोटिस दिनांक 20.10.2020 से अपीलार्थी द्वारा स्पष्टीकरण चाहा गया, किन्तु अपीलार्थी स्वयं द्वारा प्रकरण की जानकारी होने के बावजूद किसी भी प्रकार से कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है एवं ना ही इस न्यायालय में किसी भी प्रकार से कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये गये है, केवल मात्र खण्डन किया गया जिससे प्रकरण प्रथम दृष्टया सिद्ध नहीं हो सकता है।

इसके साथ ही जिला रसद अधिकारी की मूल पत्रावली में उपलब्ध माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर का निर्णय दिनांक 27.08.2021 की प्रति उपलब्ध है। माननीय उच्च न्यायालय,

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जोधपुर द्वारा प्रकरण संख्या एस.बी. सिविल रिट पीटीशन संख्या 11322/2021 दिनांक 27.08.2021 में अपीलार्थी के विरूद्ध विधि अनुसार जाचं पूरी किये जाने के संबंध में निर्देश दिये गये है, जबकि प्रकरण में जिला रसद अधिकारी, चित्तौड़गढ़ दिनांक 25.03.2021 को जांच पूरी की अपीलार्थी के प्राधिकार पत्र संख्या 081/2005 को निरस्त किया जा चुका है। इस संबंध में अधीनस्थ मूल अभिलेख की आदेशिका के अवलोकन से जाहिर होता है कि निर्णय दिनांक 25.03.2021 की प्रति मार्फत तहसीलदार एवं रजिस्टर्ड डाक के प्रेषित की गई।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील के गुणावगुण का प्रश्न है तो इस संबंध में अपीलार्थी द्वारा कोई ठोस आधार पत्रावली पर उपलब्ध नहीं कराया गया जिससे यह साबित/प्रमाणित किया जा सके कि अपीलार्थी के विरूद्ध जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ द्वारा जांच के आधार पर अपीलार्थी के प्राधिकार पत्र निरस्त करने एवं प्रतिभूति जब्त करने की कार्यवाही में किसी भी प्रकार से प्रक्रियात्मक त्रुटि कारित की गई है, जबकि मूल अभिलेख पत्रावली में जिला रसद अधिकारी द्वारा अपीलार्थी पर लगाये गये आरोप के संबंध में पत्रावली पर समुचित साक्ष्य उपलब्ध है, जो कि जिला रसद अधिकारी द्वारा प्रमाणित पाये गये है, ऐसी स्थिति में राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्तो का स्पष्ट उल्लंघन के कारण जिला रसद अधिकारी द्वारा प्राधिकार पत्र निरस्त करने एवं प्रतिभूति जब्त करने के दिये गये आदेश में किसी प्रकार के संशोधन हस्तक्षेप किये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अतः अपील अपीलार्थी गुणावगुण पर सारहीन एवं बलहीन होने से खारीज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) 1976 के नियम 08 व 09 के तहत अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र निरस्त करने एवं प्रतिभूति राशि जब्त करने संबंधी पारित निर्णय दिनांक 25.03.2021 से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करना पाया जाता है निष्कर्षतः अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारीज की जाती है, एवं अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रकरण संख्या 062/2020 अनवानी सरकार बनाम कैलाश कंवर में पारित निर्णय दिनांक 25.03.2021 को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी, चित्तौड़गढ़ का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **30.05.2024** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर,
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official